नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की ताम
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—96/2019 प्रार्थना पत्र
1—श्रीमति गंगा पत्नि लक्ष्मण जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री जगदीश पिता लक्ष्मण जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री गोपी पिता लक्ष्मण जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्री हरिकिशन पिता लक्ष्मण जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——प्रार्थीगण

बनाम

—श्री देबीलाल पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री नारायण पिता चौथू जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री शंकर पिता भैरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री अम्बालाल पिता भैरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—6.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तपुरा पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 169/2 रकबा ीघा 09 बिस्वा, 170/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि गण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा ही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम किरतपुरा पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 169/2 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, 170/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 450/–रूपये (चार सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner